



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1085) पटना, वृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2017

एस. ओ. 292 दिनांक 16 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (दशम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) ये दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, -

(i) नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण—नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338(क), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017-एकीकृत कर, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।”;

(ii) नियम 54 के उपनियम (2) में, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 97 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"97क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न हैं, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।"

(iv) नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न हैं, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।"

(v) नियम 124 में,--

(क) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी ।"

(ख) उपनियम (5) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, तकनीकी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी ।"

(vi) "प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01" के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क

[नियम 89(1) और नियम 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन./ अस्थाई पहचान पत्र		
2.	विधिक नाम		
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4.	पता		
5.	कर की अवधि (यदि लागू हो)	<वर्ष ><मास > से <वर्ष ><मास> तक	
6.	दावा किए गए प्रतिदाय की रकम (रू.)	अधिनियम	
		कर	
		ब्याज	
		शास्ति	
		फीस	
		अन्य	
	योग		
7.	दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (सामने में से चुनें)	(क)	इलेक्ट्रानिक जमा खाते में आधिक्य अधिशेष
		(ख)	सेवाओं का निर्यात - कर के भुगतान के साथ
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात - कर के भुगतान के बिना (संचित आई.टी.सी.)
		(घ)	विपरीत कर संरचना के प्रति शोध्य संचित आई.टी.सी. [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन]
		(ङ)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के साथ)
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के बगैर)
		(छ)	समझा गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

स्वघोषणा [नियम 89(2)(छ)]

मैं/ हम _____ (आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी ----- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ करती हूँ/करते हैं और प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ----- से ----- तक कि अवधि के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित --- रुपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

(यह घोषणा उन आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।)

8. सत्यापन

मैं/हम<करदाता का नाम>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

अनुबंध-1

विवरण -1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(राशि रुपये में)

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त	माल की ऐसी विपरीत कर दर पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रुपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि रुपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख
[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें]
प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन	
2.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी	
3.	विधिक नाम	
4.	फाइल किए जाने की तारीख	
5.	प्रतिदाय का कारण	
6.	वित्तीय वर्ष	
7.	मास	
8.	आदेश सं.:	
9.	आदेश को जारी किए जाने की तारीख :	
10.	पेमेंट एडवाइस की सं. :	
11.	पेमेंट एडवाइस की तारीख :	
12.	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया :	ड्राप डाउन : करदाता / उपभोक्ता कल्याण निधि
13.	के द्वारा जारी :	
14.	टिप्पणी :	
15.	आदेश का प्रकार	ड्राप डाउन : आरएफडी - 04/ 06/ 07 (भाग क)
16.	प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार):	
	विवरण	एकीकृत कर
		केन्द्रीय कर
		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
		उपकर
		कर
		ब्याज
		शास्ति
		शुल्क
		अन्य
		योग
		कर
		ब्याज
		शास्ति
		शुल्क
		अन्य
		योग
		कर
		ब्याज
		शास्ति
		शुल्क
		अन्य
		योग
	क. दावा की गई प्रतिदाय राशि	
	ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय	
	ग. अतिशेष राशि	
	घ. अस्वीकार्य प्रतिदाय राशि	
	ङ सकल राशि, जिसका भुगतान किया जाना है	
	च. ब्याज (यदि कोई हो)	
	छ. विद्यमान विधि के अधीन अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के स्थान पर समायोजित राशि	

- (ii) *in rule 54, in sub-rule (2), for the words “supplier shall issue”, the words “supplier may issue” shall be substituted;*
- (iii) *after rule 97, the following rule shall be inserted, namely:-*
“97A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.”;
- (iv) *after rule 107, the following rule shall be inserted, namely:-*
“107A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.”;
- (v) *in rule 124, -*
(a) in sub-rule (4), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
"Provided further that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Chairman at any time.”;
- (b)** in sub-rule (5), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -
"Provided further that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Technical Member at any time.”;

(vi) after the “**FORM GST RFD-01**”, the following forms shall be inserted, namely:-

“FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID							
2.	Legal Name							
3.	Trade Name, if any							
4.	Address							
5.	Tax period (if applicable)	From <Year><Month>		To		<Year><Month>		
6.	Amount of Refund Claimed(Rs.)	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
		Central tax						
		State / UT tax						
		Integrated tax						
		Cess						
	Total							
7.	Grounds of Refund Claim (select from drop down)	(a)	Excess balance in Electronic Cash Ledger					
		(b)	Exports of services- with payment of tax					
		(c)	Exports of goods / services- without payment of tax (accumulated ITC)					
		(d)	ITC accumulated due to inverted tax structure[under clause (ii) of first proviso to section 54(3)]					
		(e)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer(with payment of tax)					
		(f)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)					
		(g)	Recipient of deemed export					

DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature**Name –****Designation / Status****DECLARATION [rule 89(2)(f)]**

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature**Name –****Designation / Status****SELF- DECLARATION [rule 89(2)(l)]**

I/We _____ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from--to---, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature**Name –****Designation / Status**

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

8. Verification

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place**Date****Signature of Authorised Signatory****(Name)****Designation/ Status**

Annexure-1

Statement -1 [rule 89(5)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of inverted rated supply of goods	Tax payable on such inverted rated supply of goods	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)– calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

f. Interest (if any)																				
g. Amount adjusted against outstanding demand under the existing law or under the Act																				
h. Net amount to be paid																				
17.	Attachments (Orders)										RFD-04; RFD- 06; RFD 07 (Part A)									
Date:											Signature (DSC):									
Place:											Name:									
											Designation:									
											Office Address:									
											”									

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017-4108)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1085-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>